

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सांघ्याअधि/15/

52694
आदेश

जयपुर, दिनांक:

2/09/15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सांघ्याअधि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-अजमेर						
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भिनाथ	स्वच्छकार	65	30	0	35
		योग	65	30	0	35
जिला-भीलवाड़ा						
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हमीरगढ़	स्वच्छकार	50	25	0	25
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुभाषनगर	स्वच्छकार	35	10	0	25
		योग	85	35	0	50
जिला-चित्तौड़गढ़						
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डुंगला	स्वच्छकार	40	0	10	50
		योग	40	0	10	50
जिला-चुरू						
5.	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, चुरू द्वितीय	स्वच्छकार	50	25	0	25
		योग	50	25	0	25
जिला-हनुमानगढ़						
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नोहर	स्वच्छकार	35	0	15	50
		योग	35	0	15	50
जिला-झुन्झुनू						
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झुन्झुनू द्वितीय	स्वच्छकार	50	0	10	60
		योग	50	0	10	60
जिला-जयपुर (शहर)						
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, झालाना डुंगरी	स्वच्छकार	85	0	15	100
		योग	85	0	15	100
जिला-झालावाड़						
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भवानीमंडी	स्वच्छकार	50	0	25	75
		योग	50	0	25	75
जिला-सीकर						
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दातारामगढ़	स्वच्छकार	35	0	15	50
		योग	35	0	15	50
		महायोग	495	90	90	495

M. 1.9.15

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एक 7 (2)(7) स.छा./साभ्याअवि/15/52695-726 जयपुर, दिनांक: 2/03/15
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर,.....।
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,.....।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परियोजना एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रायली।

अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)